

..... सरकार  
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए वैध

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_, जो \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं, स्थायी निवासी: \_\_\_\_\_, गाँव/सड़क \_\_\_\_\_, डाकघर \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_, पिन कोड \_\_\_\_\_ के हैं, और जिनके फोटोग्राफ को नीचे सत्यापित किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं। वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए इनके "परिवार"\*\*\* की कुल वार्षिक आय\* 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। इनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति\*\*\* नहीं है:

I.5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि;

II.1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड (प्लॉट);

IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ जाति \_\_\_\_\_ से संबंध रखते हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है (केंद्रीय सूची)।

अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

आवेदक की हाल की पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, परिवारों की आय और संपत्ति को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तहसीलदार के रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाना चाहिए।

\*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं जैसे - वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा (प्रोफेशन) आदि।

\*\* नोट 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, और साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।

\*\*\* नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए संपत्ति परीक्षण लागू करते समय, एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न शहरों/स्थानों पर रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ा गया है।